AMAR UJALA MY CITY PAGE 7 & 8

तलाक की मुख्य वजह महिला के मायकेवालों की दखलअंदाजी

माई सिटी रिपोर्टर

एलयू के विधि विभाग की कार्यशाला में बोले वक्ता, आर्थिक बदहाली से भी बढ़े तलाक

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए गठित केंद्र के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि कोविड-19 के दौरान ज्यादातर वैवाहिक मामलों में तलाक के बढ़ोतरी का मुख्य कारण ससुराल में पत्नी के मायके की दखलअंदाजी व आर्थिक बदहाली है। साथ ही दंपती का मोबाइल पर घंटों बिताना व एक-दूसरे को पर्याप्त समय न देना भी अवरोध का कारण बन रहे हैं।

यह निष्कर्ष संकाय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत शुरू किए गए 'सेंटर फॉर वूमेन इंपावरमेंट' में आने वाले मामलों से निकला है। सेंटर समन्वयक प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्थापना के दिन से ही केंद्र में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि से संबंधित मामले आ रहे हैं। जिनमें पक्षकारों द्वारा इस संबंध में कानूनों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही वे व्यक्तिगत मामलों को लेकर भी केंद्र में आ रहे है। बताया कि ज्यादातर मामलों में मायके वालों के हस्तक्षेप के कारण महिला अपने ससुराल व मायके में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है और घर बसने से पहले ही उजड़ जा रहे है।

इस संबंध में कुटुंब न्यायालय भी काउंसिलिंग के दौरान सुलह-समझौते कराने में कारगर सिद्ध नहीं हो रहे है। ऐसे मामलों के निस्तारण में मध्यस्तता, काउंसिलिंग, सुलह-समझौता का सहारा लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तलाक के कानूनों में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए गये है, लेकिन कानूनों एवं उनकी प्रक्रियाओं के बारे जानकारी का अभाव है।

वहीं, इस केंद्र की ओर से शनिवार को ई-कायर्शाला आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने तलाक पर बने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन व पारसी कानूनों के बारे में जानकारी दी। बीएचयू के प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि हिंदू विधि में पति-पत्नी के बीच तलाक के कानूनों में विभिन्नता है जबकि पारसी कानून दोनों को समान अधिकार देता है। इलाहाबाद विवि के प्रो. अजय कुमार ने इस्लामिक कानूनों में तिहरे तलाक के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का उद्घाटन डीन लॉ प्रो. सीपी सिंह व संयोजन प्रो. राकेश कुमार सिंह ने किया।

लविवि : एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के प्रति किया जागरूक

विधि संकाय की मूट कोर्ट कमेटी का वेबिनार

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की मूट कोर्ट कमेटी द्वारा 'सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की प्रणाली व विभिन्न प्रकार के मुकदमे' विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व उत्तराखंड सरकार के स्थाई वकील सौरभ त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वह इसी बगिया के फूल हैं। एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए दो प्रकार की प्रणाली होती है, सीनियर व अन्य। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने हेतु सुप्रीम कोर्ट रूल्स द्वारा निर्धारित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली अलग होती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा के पैटर्न की जानकारी दी। वर्तमान में इस परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने हेतु किसी भी राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तथा डेजिग्नेटिड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अधीन एक साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। (माई सिटी रिपोर्टर)

अभिनेता गोविंदा के भाई देंगे मूल्यपरक सिनेमा की जानकारी

लविवि : विशेष व्याख्यान का आयोजन कल

लखनऊ। लखनऊ विवि अपने विद्यार्थियों में नवाचार, रोजगार व रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए-नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार 14 फरवरी को फिल्म अभिनेता गोविंदा के भाई डॉ. कीर्ति कुमार दोपहर दो बजे से विद्यार्थियों से रू-ब-रू होंगे। वे विद्यार्थियों को 'भविष्य के लिए मूल्यपरक सिनेमा' विषय पर संबोधित करेंगे और उनसे इस क्षेत्र की अन्य चीजें भी साझा करेंगे।

डॉ. कीर्ति कुमार निर्माता- निर्देशक, अभिनेता व शिक्षक भी हैं। इनकी प्रमुख फिल्में नसीब, आंटी नंबर वन, प्यार दीवाना होता है, हत्या आदि हैं। इनकी फिल्म 'राधा का संगम' ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में भी भेजी गई थी। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को बहुआयामी, अंतरविभागीय अनुभव देने पर बल दे रही है। (माई सिटी रिपोर्टर)

लखनऊ समेत 9 जिलों में पक्षियों की गणना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के संयोजन में लखनऊ विश्वविद्यालय, वन विभाग ने एशियन वॉटर बर्ड साइंसेज 2022 के अवसर पर शनिवार को लखनऊ समेत नौ जिलों में जलीय पक्षियों की गणना की। लखनऊ विवि की प्रो. अमिता कन्नौजिया के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास वेटलैंड में पक्षियों की गणना की, जहां 26 प्रकार के पक्षी मिले। इसके अलावा गोंडा, मैनपुरी, आगरा, इटावा, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव में भी यह गणना की गई। (माई सिटी रिपोर्टर)

NBT PAGE 9

'ससुराल में मायके की दखलअंदाजी तलाक केस बढ़ने की बड़ी वजह'

एलयू के विधि संकाय में लगे कैंप के सर्वेक्षण में सामने आई वजह

■ एनबीटी, लखनऊः ससुराल में पत्नी के मायके की दखलअंदाजी और आर्थिक वदहाली तलाक के मामलों में वढ़ोतरी की अहम वजह है। पति-पत्नी के वीच आपसी वातचीत की कमी, दोनों का मोवाइल पर घंटों वितानाऔर देर रात तक सोने के अलावा एक-दूसरे के लिए समय न देना व अन्य वजह भी विवाह में पनपने वाले अवरोध के कारण वन रहे हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में शनिवार को हुई ई-कार्यशाला में आए विधि-विशेषज्ञों ने तलाक पर वने हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी कानूनों के वारे में जानकारी दी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने कहा कि हिन्दू विधि में पति-पत्नी के वीच तलाक के कानूनों में विभिन्नताए हैं। जवकि पारसी कानून दोनों को समान अधिकार देता है। इलाहावाद विवि के प्रोफेसर अजय कुमार इस्लामिक कानूनों में तिहरे तलाक के वारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समय इस कानून के कई अनसुलझे पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

कानून की महत्ता बताई

एलयू विधि संकायाध्यक्ष प्रो. सीपी सिंह ने तलाक के कानूनों की महत्ता के वारे में वताया। प्रो. राकेश कुमार सिंह ने वताया कि स्थापना के दिन से ही केन्द्र में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संरक्षकता और दत्तक ग्रहण से संवंधित मामलों के संवंध में मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पक्षकारों से इस संवंध में कानूनों की जानकारी मांगी जा रही है।

साथ ही वे अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर भी केन्द्र में आ रहे हैं।

इस संवंध में प्रो.सिंह ने वताया कि ज्यादातर मामलों में पत्नी के ससुराल वालों की हस्तक्षेप के कारण पत्नी ससुराल और मायके में सामन्जस्य स्थापित नहीं कर पा रही है और अनेक घर वसने से पहले की उजड़ जा रहे है। इस संवंध में कुटुम्व न्यायालय भी काउंसलिग के दौरान इनके वीच सुलह-समझौते कराने में कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। वैवाहिक मामलों का निपटारा कुटुम्व कोर्ट के अतिरिक्त मध्यस्थता, काउंसलिग, सुलह-समझौता, पंचाटों का गठन का सहारा लिया जा सकता है। उन्होंने वताया कि तलाक के कानूनों में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिये गए हैं लेकिन महिलाओं को कानूनों और उनकी प्रक्रियाओं के पर्याप्त जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। प्रो. वीडी सिंह ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।

HINDUSTAN PAGE 6

लखनऊ विवि के विधि संकाय के सर्वेक्षण में सामने आई बात, आर्थिक तंगी भी वैवाहिक संबंधों पर बुरा प्रभाव डाल रही

ससुराल में मायके की दखलअंदाजी से बढ़ रहे हैं तलाक

ई-कार्यशाला

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

ससुराल में अगर पत्नी के मायके की दखलंदाजी ज्यादा हो तो यह तलाक का कारण बन सकती है। यह पाया गया विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय में वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए शुरू किए गए केन्द्र के सर्वेक्षण में।

शनिवार को विधि संकाय में इस विषय पर हुई ई-कार्यशाला में विधि-विशेषज्ञों ने तलाक पर बने हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन व पारसी कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस विषय पर बोलते हुए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रो. प्रदीप कुमार में कहा कि हिन्दू विधि में पति-पत्नी में तलाक के कानूनों में विभिन्नताएं है जबकि पारसी कानून दोनों को समान अधिकार देता है। वहीं इस विषय पर अपनी बात रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. अजय कुमार ने इस्लामिक कानूनों में तिहरे तलाक के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए संकायाध्यक्ष प्रो. सीपी सिंह ने तलाक के कानूनों की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के बारे में जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। कार्यशाला के आयोजक और प्रधान अन्वेषक प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बने केन्द्र की स्थापना के पहले दिन से ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संरक्षकता एवं दत्तक ग्रहण से सम्बंधित तमाम मामले आ रहे हैं। प्रो. सिंह ने यह भी बताया कि ज्यादातर मामलों में पत्नी के घरवालों के हस्तक्षेप के कारण पत्नी अपने ससुराल में सामन्जस्य स्थापित नहीं कर पा रही है।

उन्होंने बताया कि तलाक के कानूनों में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं लेकिन महिलाएं कानूनों और उनकी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। इसलिए जागरूकता जरूरी है।

मोबाइल पर घंटों समय बिताने से भी समस्या

सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि कोविड-19 के दौरान ज्यादातर तलाक या आपसी मनमुटाव आर्थिक बदहाली के कारण हुए। इसके अलावा पति-पत्नी के बीच आपसी बातचीत की कमी, दोनों का मोबाइल पर घंटों समय बिताना, एक-दूसरे को समय न देना जैसे कारण भी समस्या खड़ी कर रहे हैं।

i-NEXT PAGE 5

पालिटिकल साइंस के एग्जाम 18 से

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (12 Feb): लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीए आनर्स पालिटिकल साइंस थर्ड व फिफ्थ सेमेस्टर (दिसंबर-2021) के एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया. एग्जाम 18 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे. एग्जाम का समय सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इससे पहले बीए आनर्स इंग्लिश, हिन्दी, इकोनामिक्स व एआईएच के एग्जाम की तिथियां जारी की गई थीं.

एलयू: बीए ऑनर्स की परीक्षाएं 18 फरवरी से

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया है। तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 फरवरी से होंगी। इससे पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश हिन्दी इकोनॉमिक्स व एआईएच की परीक्षाओं की तिथियां जारी की गई थीं।

बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 फरवरी से चार मार्च तक होंगी। परीक्षाओं का समय सुबह 09 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। विद्यार्थी इसका विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर देख सकते हैं।

विषयवार परीक्षाओं की तिथियां

बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पांचवां सेमेस्टर :

18 फरवरी	एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट
21 फरवरी	प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट 1
24 फरवरी	स्टेट पॉलिटिक्स
26 फरवरी	फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स
02 मार्च	कंटेम्परारी पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलाजिस 1

बीए आनर्स पालिटिकल साइंस तीसरा सेमेस्टर :

19 फरवरी	वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट-2
22 फरवरी	कॉन्स्टीट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया-2
25 फरवरी	कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स-1
28 फरवरी	इंटरनेशनल पॉलिटिक्स-1
04 मार्च	इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन-1 की परीक्षाएं होंगी

एलएलबी के इंटरनल असेसमेंट फरवरी में

लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी तीन और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट (आंतरिक मूल्यांकन) की परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। ये परीक्षाएं 17 से 22 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी।

i-NEXT PAGE 2 & 4

नौ जिलों की गणना में मिले 332 जलीय पक्षी

लखनऊ विश्वविद्यालय के वन्य जीव विज्ञान संस्थान ने तैयार की रिपोर्ट

LUCKNOW (12 Feb): लखनऊ विश्वविद्यालय के वन्य जीव विज्ञान संस्थान ने शनिवार को प्रदेश के नौ जिलों में एशियन वाटर बर्ड्स (जलीय पक्षी) की गणना करवाई. गणना के लिए नौ जिलों में अलग-अलग टीमें भेजी गईं थीं. शाम तक आई रिपोर्ट के मुताबिक कुल 332 जलीय पक्षी चिह्नित किए गए. सर्वाधिक 64 जलीय पक्षी आगरा के सूर सरोवर में पाए गए.

मार्गदर्शन भी किया

लवि के वन्य जीव विज्ञान संस्थान की समन्वयक प्रो. अमिता कनौजिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के तत्वावधान में विश्वविद्यालय ने वन विभाग के सहयोग से एशियन वाटर बर्ड्स की गणना करवाई है. नौ जिलों के संरक्षित व असंरक्षित वेटलैंड्स (नम भूमि क्षेत्र) में टीमें गईं, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव बी. प्रभाकर और प्रो. अमिता कनौजिया ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास अव्यवस्थित वेटलैंड में पक्षियों की गणना करने पहुंची टीम का मार्गदर्शन किया.

CONCEPT PIC

शाम तक आई रिपोर्ट के मुताबिक कुल 332 जलीय पक्षी चिह्नित किए गए. सर्वाधिक 64 जलीय पक्षी आगरा के सूर सरोवर में मिले.

इकाना के पास मिले ये पक्षी

कैटेल एग्रेट, वाटर हेरोन, ग्रे हेरोन, व्हाइट ब्रेस्टेड, किंग फिशर, रेड वेटेल्ड, लैपविंग, सन बर्ड, पर्पिल हेरोन, ग्रेटर एग्रेट सहित कई अन्य.

इन जिलों में मिले जलीय पक्षी

लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से कराई गई गिंडियों की इस गणना में लखनऊ जिले के इकाना में 26, उन्नाव जिले के नवाबगंज में 37, हरदोई जिले के सांडी में 29, कन्नौज जिले के लखबहोसी में 28, रायबरेली जिले के समसपुर में 45, इटावा जिले के सरसईनवार में 41, आगरा जिले के सूर सरोवर में 64, मैनपुरी जिले के समन में 33, गोंडा के पार्वती अरगा पक्षी विहार में 29 जलीय पक्षी चिह्नित किए गए हैं.

मायके की दखलअंदाजी एवं आर्थिक बदहाली से बढ़ गए तलाक के मामले

हिन्दू विधि में तलाक के कानून में विभिन्नताएं

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (12 Feb): कोविड-19 के दौरान ज्यादातर वैवाहिक विवादों का मुख्य कारण ससुराल में पत्नी के मायके की दखलअंदाजी एवं आर्थिक बदहाली है. साथ ही पति.पत्नी के बीच आपसी बातचीत की कमीए दोनों का मोबाइल पर घंटों बिताना के अलावा देर रात तक सोना एवं एक.दूसरे के लिए समय न देना भी है. लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ विभाग द्वारा वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बनाए गए केन्द्र के सर्वे में यह तथ्य समाने आए हैं. यह जानकारी तलाक के विषय पर सम्पन्न ई.कार्यशाला में विभाग की ओर से दी गई.ई.कार्यशाला में आये लॉ विशेषज्ञों ने तलाक पर बने हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एवं पारसी कानूनों के बारे में जानकारी दी.

बीएचयू के विधि विभाग के प्रो. प्रदीप कुमार में कहा कि हिंदू विधि में पति-पत्नी के बीच तलाक के कानूनों में विभिन्नता है, पारसी कानूनों दोनों को समान अधिकार देता है.

बीए आनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर

● 18 फरवरी- एंसिएंट इंडियन पालिटिकल थाट ● 21 फरवरी- प्रिंसिपल्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट-1 ● 24 फरवरी- स्टेट पॉलिटिक्स ● 26 फरवरी- फारेन पालिसी आफ मेजर पावर्स ● 2 मार्च- कंटेम्परारी पालिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलाजिस-1

बीए आनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर

● 19 फरवरी-वेस्टर्न पालिटिकल थाट-2 ● 22 फरवरी- कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया-2 ● 25 फरवरी-कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स-1 ● 28 फरवरी-इंटरनेशनल पॉलिटिक्स-1 ● 4 मार्च-इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन-1

JAGRAN CITY PAGE I & III

लवि की गणना में नौ जिलों में मिले 332 जलीय पक्षी

एशियन वाटर बर्ड ● सौजन्य : लखनऊ विश्वविद्यालय

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के वन्यजीव विज्ञान संस्थान ने शनिवार को प्रदेश के नौ जिलों में एशियन वाटर बर्ड्स (जलीय पक्षी) की गणना कराई। गणना के लिए नौ जिलों में अलग-अलग टीमें भेजी गई थीं। शाम तक आई रिपोर्ट के मुताबिक कुल 332 जलीय पक्षी चिह्नित किए गए। सर्वाधिक 64 जलीय पक्षी आगरा के सूर सरोवर में पाए गए।

लवि के वन्यजीव विज्ञान संस्थान की समन्वयक प्रो. अमिता कनौजिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के तत्वावधान में विश्वविद्यालय ने वन विभाग के सहयोग से एशियन वाटर बर्ड्स की गणना कराई है। नौ जिलों के संरक्षित व असंरक्षित वेटलैंड्स (नम भूमि क्षेत्र) में टीमें गईं। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव बी. प्रभाकर और प्रो. अमिता कनौजिया ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास अव्यवस्थित वेटलैंड में पक्षियों की गणना करने पहुंची टीम का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वाटर बर्ड्स सेंसेस-2022 के राज्य समन्वयक नीरज कुमार श्रीवास्तव और आशुबोध पंत भी मौजूद रहे।

इकाना के पास अव्यवस्थित वेटलैंड में मिले ये पक्षी : कैटेल एग्रेट, वाटर हेरोन, ग्रे हेरोन, व्हाइट ब्रेस्टेड, किंग फिशर, रेड वेटेल्ड, लैपविंग, सन बर्ड, पर्पिल हेरोन, ग्रेटर एग्रेट सहित कई अन्य।

इन जिलों में मिले जलीय पक्षी: लखनऊ-इकाना 26, उन्नाव-नवाबगंज 37, हरदोई-सांडी 29, कन्नौज-लखबहोसी 28, रायबरेली-समसपुर 45, इटावा-सरसईनवार 41, आगरा-सूर सरोवर 64, मैनपुरी-समन 33, गोंडा-पार्वती अरगा पक्षी विहार 29।

लवि में बीए आनर्स पालिटिकल साइंस की परीक्षाएं 18 से

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीए आनर्स पालिटिकल साइंस तीसरे व पांचवें सेमेस्टर (दिसंबर-2021) की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह परीक्षाएं 18 फरवरी से चार मार्च तक संचालित होंगी। परीक्षाओं का समय सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।

विद्यार्थी इसका विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले बीए आनर्स इंग्लिश, हिन्दी, इकोनामिक्स व एआइएच की परीक्षाओं की तिथियां जारी की गई थीं।

परीक्षाओं की विषयवार तिथियां जारी

- बीए आनर्स पालिटिकल साइंस पांचवां सेमेस्टर : 18 फरवरी-एंसिएंट इंडियन पालिटिकल थाट, 21 फरवरी-प्रिंसिपल्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट-1, 24 फरवरी-स्टेट पालिटिक्स, 26 फरवरी-फारेन पालिसी आफ मेजर पावर्स, दो मार्च-कंटेम्परारी पालिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलाजिस-1
- बीए आनर्स पालिटिकल साइंस तीसरा सेमेस्टर : 19 फरवरी-वेस्टर्न पालिटिकल थाट-2, 22 फरवरी-कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया-2, 25 फरवरी-कम्पेरेटिव पालिटिक्स-1, 28 फरवरी-इंटरनेशनल पोलिटिक्स-1, चार मार्च-इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन-1

मायके की दखलअंदाजी तलाक की वजह

ये भी कारण

- पति-पत्नी में बातचीत की कमी से बढ़ रहीं दूरियां
- मोबाइल पर घंटों बिताना, एक-दूसरे को समय न देना भी कारण

जागरण संवाददाता, लखनऊ : वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वेक्षण में पाया गया कि कोविड-19 के दौरान ज्यादातर मामलों में मुख्य कारण ससुराल में पत्नी के मायके की दखलअंदाजी एवं आर्थिक बदहाली है। पति-पत्नी के बीच बातचीत की कमी, दोनों का मोबाइल पर घंटों बिताना, देर रात तक सोना और एक-दूसरे के लिए समय न देना भी इसके पीछे अहम कारण हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित ई-कार्यशाला में यह बात सामने आई।

शनिवार को हुई ई-कार्यशाला में विधि-विशेषज्ञों ने तलाक पर बने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एवं पारसी कानूनों के बारे में जानकारी दी। विषय पर बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि हिंदू विधि में पति एवं पत्नी के बीच तलाक के कानूनों में विभिन्नताएं है, जबकि पारसी कानून दोनों को समान अधिकार देता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालव के प्रो. अजय कुमार ने इस्लामिक कानूनों में तिहरे तलाक के बारे में बताया। मौजूदा समय में इस कानून के कई अनसुलझे पहलुओं पर भी चर्चा की। संकायाध्यक्ष प्रो सीपी सिंह ने तलाक के कानूनों की महत्ता के बारे में बताया।

कार्यशाला के आयोजक और प्रधान अंवेषक प्रो राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्थापना के दिन से ही केंद्र में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संरक्षता और दत्तक ग्रहण से संबंधित तमाम मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहाकि वैवाहिक मामलों का निपटारा कुटुंब कोर्ट के अतिरिक्त मध्यस्थता, काउंसलिंग, सुलह-समझौता से किया जा सकता है।

तलाक के कानूनों में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए गये हैं लेकिन कानून एवं उनकी प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रही है। विशेषज्ञों ने तलाक के कानूनों के प्रति पति-पत्नी एवं समाज की जागरूकता के बारे में विशेष जिक्र करते हुवे कहा कि तलाक के कानूनों से समाज के परिचित कराने की आवश्यकता है।

गोविंदा के भाई डा. कीर्ति कुमार कल देंगे व्याख्यान

लखनऊ : फिल्म अभिनेता गोविंदा के भाई, निर्माता, निर्देशक, गायक डा. कीर्ति कुमार सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे। व्याख्यान भविष्य के लिए मूल्य आधारित सिनेमा विषय पर होगा। डा. कीर्ति की प्रमुख फिल्में नसीब, आंटी नंबर वन, प्यार दीवाना होता है व हत्या आदि हैं। (जासं)

THE PIONEER PAGE 2

SESSION AT LU

The Moot Court Association of the Faculty of Law, Lucknow University, located on the new campus, organised a session on 'System of advocate on record and various types of litigation in Supreme Court'. Head and dean, Faculty of Law, CP Singh encouraged the students, highlighting the importance of attending such sessions because litigation is a field which requires constant and persistent hard work, but once people establish them as advocates by continuously working on their skills, they achieve a lot of success. Standing counsel, Uttarakhand, Saurabh Trivedi was present as the speaker of the session. He said that there are basically three types of advocates in India — senior advocate, other advocates and advocate on record. "Advocate on record is responsible to the court and not towards client. He or she can't do anything which is in favour of client but against the mandate of the court. To become an advocate on record, a person has to register as an advocate under BCI, pursue an internship under another AOR for a duration of one year and qualify a written exam.

TOI PAGE 3

LU lecture on value-based cinema

Lucknow University's Sanskritiki Board and faculty of education will organize a lecture on 'Value-based Cinema for the Future' by producer, director and actor Kirti Kumar on Monday. "As the New Education Policy encourages multi-dimensional and interdisciplinary experience for students, promotes creativity with value addition, this will be a wonderful opportunity for students to hear a veteran from the film industry," said director, Sanskritki Board, Prof Rakesh Chandra.